न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/198/2017	12–12–2017	18–11–2020

01. हरीराम पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी ग्राम सहजपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0। —अपीलांट

बनाम

01. तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर। —रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़ दिनांक 27.09.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 323/2017

उपस्थितः–
01–श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल —वकील अपीलाण्ट

—ःनिर्णयः—

अपीलांट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 27.09.2017 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम सहजपुर की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 881 रकबा 7.09 है0 में से 0.50 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया ग्राम सहजपुर की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 881 रकबा 7.09 है0 में से 0.50 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 05.09.2017 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने सजा व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट्स को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 27.09.2017 अपास्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 27.09.2017 के विरूद्ध दिनांक 12.12.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में पेश शपथ–पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 12.12.2017 को विवादित आराजी पर कब्जा हटाना बताया है जबकि नायब तहसीलदार रामगढ़ द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 26.12.2017 में विवादित आराजी पर अपीलांट का अतिक्रमण बताया है। पूर्व में भी न्यायालय हाजा द्वारा उक्त विवादित आराजी पर मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 10.07.2018 में कब्जा नहीं होना बताया था। जिस अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08.08.2018 को अपील के निर्णय में अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया गया था कि वह मौका परीक्षण करें। यदि अतिक्रमण यथावत पाया जाता है अथवा अपीलांट उक्त आराजी पुनः अतिक्रमण करता है–

P.T.O

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

तो अपीलांट के विरूद्ध धारा 91(6) के तहत कार्यवाही करें। वर्तमान अपील उक्त निर्णय से पूर्व की है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांट को आरोपित सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलांट को दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18–11–2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)